



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 03.07.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 576/25 69/115(2)/352/351(2) बीएनएस, धारा 3(2)(5)/3(1)(द)/3(1)(ध) एससी/एसटी एक्ट व धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 02.07.2025 को वादिया ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्त मौ0 महताब उर्फ गोलू पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी मौ0 भाटान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा अपनी असली पहचान छुपाकर शादी का झांसा देते हुए वादिया के साथ गलत कार्य किया गया। पहचान उजागर होने पर वादिया के फोटो/वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए अभियुक्त मौ0 महताब उर्फ गोलू द्वारा गाली-गलौच व मारपीट की गई व अभियुक्त के भाई अलताफ द्वारा भी वादिया के साथ गाली-गलौच की गई तथा दोनो अभियुक्तों द्वारा वादिया पर शादी करने को लेकर दबाव डाला गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर



मु0अ0सं0 576/25 धारा 69/115(2)/352/351(2) बीएनएस, धारा 3(2)(5)/3(1)(द)/3(1)(ध) एससी/एसटी एक्ट व धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

आज दिनांक 03.07.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मौ0 महताब उर्फ गोलू पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी मौ0 भाटान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मौ0 महताब उर्फ गोलू पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी मौ0 भाटान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 दीपक कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 संजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. का0 1036 सुमित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4. का0 1475 अश्वनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 03.07.2025

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 323/34/504/506 भादवि व धारा 3(1)(द)/3(1)(ध) एससी/एसटी एक्ट के आरोपी 03 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल ₹66,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

कार्यवाही:-

दिनांक 29.12.2021 को वादी ने थाना रेहड पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.वेदप्रकाश पुत्र रविदास, 2.निक्का पुत्र रविदास, 3.सुक्खे पुत्र रविदास व 4.मोहित पुत्र वेदप्रकाश निवासीगण ग्राम छजमवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पत्नी व पुत्री के साथ गाली-गलौच करते हुए लाठी-डन्डो आदि से मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रेहड पर मु0अ0सं0 151/18 धारा 323/504/506 भादवि व धारा 3(1)(द)/3(1)(ध) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया । स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में विवेचना उपरांत आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

उपरोक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 03.07.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 151/18 धारा 323/34/504/506 भादवि व धारा 3(1)(द)/3(1)(ध) एससी/एसटी एक्ट के आरोपीगण 1.वेदप्रकाश पुत्र रविकुमार, 2.निक्का पुत्र रविकुमार, 3.सुक्खे पुत्र रविकुमार समस्त निवासीगण ग्राम छजमवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 66,000/- रुपये (प्रत्येक को 22-22 हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की कुल धनराशि में से 40,000/- रुपये की धनराशि पीडिता को प्रतिकर के रूप में देय होंगे ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

- 1.वेदप्रकाश पुत्र रविकुमार निवासी ग्राम छजमवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर ।
- 2.निक्का पुत्र रविकुमार निवासी ग्राम छजमवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर ।
- 3.सुक्खे पुत्र रविकुमार निवासी ग्राम छजमवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक – 03.07.2025

**थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0स0 352/25 धारा 74/78/351(3)/352 बीएनएस में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 02.07.2025 को वादिया द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त दानिश पुत्र नासिर निवासी मौ0 हाता कस्वा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ कर गाली-गलौच करते हुये जान से मारने की धमकी दी गयी । इस सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0स0 352/25 धारा 74/78/351(3)/352 बीएनएस पजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 03.07.2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त दानिश पुत्र नासिर निवासी मौ0 हाता कस्वा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दानिश पुत्र नासिर निवासी मौ0 हाता कस्वा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री हरिओम सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.हे0का0 689 पुष्पेन्द्र सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना

दिनांक – 03.07.2025

थाना नगीना पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल सहित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 02.07.2025 को वादी ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल सीटी100 नं0 यूपी11बीयू-9846 चोरी कर ली गई । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 122/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तगण 1.रहमान पुत्र मौफीक व 2.नाजिम पुत्र गफ्फार निवासीगण ग्राम सलेमपुर सेक्टर 4 थाना बहादुराबाद जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड के नाम प्रकाश में आये ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 03.07.2025 को थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.रहमान पुत्र मौफीक व 2.नाजिम पुत्र गफ्फार निवासीगण ग्राम सलेमपुर सेक्टर 4 थाना बहादुराबाद जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड को उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल सीटी100 नं0 यूपी11बीयू-9846 सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.रहमान पुत्र मौफीक निवासी ग्राम सलेमपुर सेक्टर 4 थाना बहादुराबाद जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
- 2.नाजिम पुत्र गफ्फार निवासी ग्राम सलेमपुर सेक्टर 4 थाना बहादुराबाद जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड ।

बरामदगी विवरण-

चोरी की मोटरसाइकिल सीटी100 नं0 यूपी11बीयू-9846

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 122/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नगीना जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 रामचन्द्र थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
2. मुख्य आरक्षी विपिन कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
3. आरक्षी सचिन कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर ।